न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः–74/18 (जीसीएमएस नं. 2018/00063)

01. हजारी लाल पुत्र गोपाल लाल जाति बैरवा निवासी दौसा जरिये मुख्तयरआम अशोक अग्रवाल पुत्र स्व0. श्री सूरजमल अग्रवाल जाति महाजन निवासी 25, दयाल नगर गोपालपुरा बाईपास रोड़, जयपुर शहर राजस्थान।

––अपीलार्थी,

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 18.01.2021

अपीतार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2018 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 266 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 267 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम बस्सीनागा भू.अ.नि. क्षेत्र कालख तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है, जो उक्त आराजीयात का वरवक्त सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029 में सहवन से तालाब दोयम अंकित कर दिया गया परन्तु उसके पश्चात् मिसल नम्बर 64 दिनांक 28.02.1955 के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरान 264 लगायत 269 तक को तालाबी दोयम के बजाय बारानी दोयम किया गया रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा लगान 9 रूपये 8 आने तालाबी–2 कम होकर 6 रू 16 आने बारानी दोयम लगान 4 रू 13 आने 2 पैसे बना इस प्रकार खाते में कुल लगान 4 रूपये 10 आने 2 पैसे कम हुआ का नोट अंकित किया गया था जिसका नोट भी सैटलमेन्ट भू–प्रबन्धक जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2029 में अंकित किया हुआ है, उक्त वर्णित आराजीयात नोट आदेश दिनांक 28.12.1955 के बाद बारानी दोयम चली आ रही है परन्तु उक्त आराजीयात का नोट के आधार पर सहवन से आगामी जमाबन्दियों में शुद्धि नही होने से तालाबी दोयम ही सहवन से गलत अंकित चली आ रही है जबकि उक्त आराजीयात बारानी दोयम ही है, प्रार्थी ने उक्त आराजीयात को इसी आधार इसके पूर्व खातेदार ओमप्रकाश पुत्र सीताराम बलाई निवासी जयपुर से खरीद की थी जिसका खरीद का नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 16.06.2014 व नामान्तरकरण संख्या 945 दिनाक 05.07.

P.T.O.

2014 के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम इन्द्राज किया हुआ है, उक्त वर्णित आराजी की किस्म तालाबी दोयम से बारानी दोयम वर्तमान जमाबन्दी में करवाने के लिये प्रार्थी ने पटवारी हल्का से कई बार निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का ने तहसीलदार सांभर से आदेश होने पर ही किस्म परिवर्तन किये जाने का हवाला दिया तब प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सांभर के यहाँ दिनांक 11.06.2015 को एक प्रार्थना पत्र भी उपरोक्त आराजीयात की किस्म तालाबी दोयम को आदेश दिनाक 28.02.1955 के नोट के आधार पर बारानी दोयम दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने का कहा इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ जो प्रार्थना पत्र जवाब में ही चल रहा था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.02.2018 को बिना किसी आधारो के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तौर पर खारिज फरमा दिया गया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 04.11.2016 में अंकित किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग से खतौनी बन्दोबस्त में लगे नोट कि मिसल सख्या 64 दिनांक 28.02.1955 के बारे मे रिपोर्ट ली जावें उक्त रिपोर्ट निर्णय दिनांक 10.02.2018 तक भी पत्रावली पर प्राप्त नही हुई थी उसके बाजवूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण को समझे एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त स्थल की वास्तविक मौका स्थिति व वास्तविक उपयोग को जॉचने के लिये अपने आदेशिका मे आदेशित किया था कि वह वादग्रस्त खसरा से लगते हुऐ सभी खसरा नम्बरों की किस्म तथा मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, पैरोकार सरकार द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट कभी भी निर्णय तक प्रस्तुत नही की गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण का समझे ही उक्त निर्णय पारित किया जो निरिस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2018 को अपास्त किया जावें तथा अपीलार्थी के मूल प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2017 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 264 लगायत 269 वाके ग्राम बस्सी नागा की चकबन्दी रजिस्टर खाता संख्या 76 सम्वत् 2011–2029 के अनुसार किस्म जमीन तहसील हाजा में उपलब्ध मिसल हकीयम में तालाबी दोयम दर्ज है तदानुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी तालाबी दोयम ही दर्ज है। उन्होने यह भी कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रकरण अब्दुल रहमान से प्रभावित होने के कारण प्रश्नगत आराजी की किस्म परिवर्तन कानूनन नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2011–2029 एवं सम्वत् 2070–2073 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 264 लगायत 268 तालाबी दोयम दर्ज रिकार्ड है तथा तालाबी भूमि की किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को प्रदत्त नही होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2018 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर